परिशिष्ट - अ

[23/12/2022]

के नियम 12 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, म. प्र. के राज्यपाल, उक्त नियम के उपनियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उन आदिवासी विकास प्राधिकरणों के, जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) में दि. 19-11-1980 को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4/15/80/1/25, दि. 19-11-1980 के अधीन प्रकाशित किये गये हैं, म.प्र. शासन के संकल्प के अनुसरण में आदिवासी तथा हरिजन कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4/15/80/1/25, दिनांक 23-2-1981 के अधीन स्थापित किये गये, समस्त अध्यक्षों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के सिविल पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति पर उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट की गई शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं।

विषय– विभागीय जाँच की समाप्ति के पश्चात् बन्द लिफाफे की अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही।

सन्दर्भ– सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र. 3-17/79/3/1, दिनांक 11 जनवरी, 1980।

उक्त सन्दर्भित ज्ञापन में यह बतलाया गया है कि यदि किसी शासकीय सेवक, जिसके विरुद्ध विभागीय जाँच अपेक्षित हो या चल रही हो अथवा उसे निलम्बन में रखा गया हो, को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पहली बार पदोन्नति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो और उसे विभागीय जाँच के पूर्ण होने के बाद पूर्णतः निर्दोष पाया गया हो तो उसे भूतलक्षी प्रभाव से इस विभाग के ज्ञापन क्र. 209/2949/1 (3)-63, दिनांक 31-1-1964 एवं क्रमांक एफ- 3-29/73/3/1, दिनांक 20-3-1974 में दिये गये निर्देशों के अनुसार पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए। सन्दर्भित ज्ञापन दिनांक 11-1-1980 में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे प्रकरणों में बाद के वर्ष में की गई विभागीय पदोन्नति समिति की प्रतिकूल अनुशंसा पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही हो और इसलिये जिससे सम्बन्धित अनुशंसा सीलबन्द लिफाफे में रखी गई हो, पश्चातवर्ती विभागीय पदोन्नति समिति की प्रतिकूल अनुशंसाओं के बावजूद, पदोन्नति की पात्रता होगी, जबकि पूर्व की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नई चयन सूची बनने के पहले कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नत हो जाते हैं।

3. आपसे निवेदन है कि जिन शासकीय सेवकों के मामले में सन्दर्भ में लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य प्रणाली अपनाई जाती है उसके सम्बन्ध में निर्णय लेते समय उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखा जाय।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 620/1213-1 (3)-82, दि. 23-9-1982]

विषय– म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में संशोधन।

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6-5/81/3/एक, दिनांक 26-2-1982, जो म. प्र. राजपत्र, भाग- 4 (ग), दिनांक 12-3-82 में प्रकाशित हुई है तथा जिसके अनुसार उपर्युक्त नियमों में बगैर आरोप-पत्र जारी किये 45/90 दिन की कालावधि समाप्त होने पर निलम्बन आदेश प्रतिसंहृत हो जाने सम्बन्धी संशोधन उपर्युक्त नियमों में किया गया है, के बारे में कतिपय विभागों ने निम्न मुद्दे उपस्थित किये हैं :–

(1) क्या ये संशोधित नियम उन प्रकरणों में भी लागू किये जायेंगे जहाँ कि शासकीय सेवक को अभियोजन के आधार पर या किसी आयोग द्वारा जाँच प्रारम्भ किये जाने के कारण निलम्बित किया गया हो और नियमों में उल्लिखित 45/90 दिन की अवधि के अन्दर आरोप-पत्र आदि जारी न किये जा सके हों ?

(2) क्या इन संशोधित नियमों का प्रभाव भूतलक्षी होगा, अर्थात् जो शासकीय सेवक उक्त अधिसूचना जारी होने के 90 दिन या उससे भी अधिक समय पूर्व से निलम्बित है और जिन्हें आरोप-पत्र आदि जारी नहीं किये गये हैं, क्या उनके निलम्बन आदेश उक्त अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रतिसंहृत माने जायेंगे।

2. जहाँ तक उक्त बिन्दु (1) का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में जारी किया गया है जहाँ विभागों द्वारा शासकीय सेवकों को निलम्बित तो कर दिया जाता है परन्तु कई माह बीत जाने पर भी उन्हें आरोप-पत्र इत्यादि जारी कर नियमित विभागीय जाँच प्रारम्भ नहीं की जाती। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त संशोधन केवल विभागीय जाँच के मामलों पर ही लागू है। जहाँ किसी आपराधिक अथवा अभियोजन के मामलों में निलम्बन किया जाता है, वहाँ उक्त संशोधन लागू नहीं होगा। जहाँ कोई जाँच आयोग बिठाये जाने के कारण शासकीय कर्मचारी निलम्बित किया गया हो वहाँ जब तक कि आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय जाँच प्रारम्भ करने के लिये यदि निलम्बन के 45/90 दिन के भीतर आरोप-पत्र आदि नहीं दिये गये हों तो ऐसे मामलों में भी निलम्बन आदेश प्रतिसंहृत हो जायेगा।

3. जहाँ तक बिन्दु (2) का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संशोधित प्रावधान दिनांक

The High Court Of Madhya Pradesh

WP-3198-2021

(AJAY SHARMA Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS)

1

Jabalpur, Dated : 22-02-2021

Mr. K.C. Ghildiyal, Advocate for the petitioner.

Mr. Abhinav Kherdikar, Panel Lawyer for the respondents/State.

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the order dated 29.12.2020 (Annexure-P/10) which has been issued in pursuance to order dated 31.10.2019 (Annexure-P/9) whereby the petitioner's representation has been rejected and also challenging the order dated 31.12.2020 (Annexure-P/11), whereby the petitioner has been directed to be relieved in pursuance to the transfer order dated 08.08.2019 (Annexure-P/1).

Learned counsel for the petitioner submits that vide order dated 08.08.2019, the petitioner was directed to be transferred from Sijhora to Jhiriya and the same was assailed by the petitioner before this Court and finally, the said order was cancelled by the Commissioner, Tribal Department, but again the Authority is implementing the order dated 08.08.2019. He further submits that the petitioner is having physical disability to the extent of 75% and as per the Policy, the handicapped person should not be transferred.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment of process fee within a period of seven days by RAD mode.

By way of interim measure, the operation of impugned relieving order dated 31.12.2020 (Annexure-P/11) shall remain stayed and the petitioner be allowed to work at his present place of posting i.e. Sijhora till next date of hearing.

Certified copy as per rules.

(SANJAY DWIVEDI)
JUDGE

Signature Not Verified
Digitally signed by DEVASHISH MISHRA
Date: 2021.02.22 17:50:01 IST